

भारत संघ और अन्य

बनाम

सुरक्षा और वित्त (पी) लिमिटेड

6 अक्टूबर, 1975

[वी. आर. कृष्णा अय्यर और ए. सी. गुप्ता, जे. जे.]

आयात नियंत्रण- शीर्षक या प्रविष्टि निर्धारित करने की शक्ति जिसके तहत कोई भी विशेष वस्तु आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम (1947) की धारा 3 (2) और 4 सपठित समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम (अधिनियम VIII) 1878 की धारा 167 (प्रविष्टि 8) के तहत आती है।

समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम (अधिनियम VIII)- धारा 20, 167, 183 और 184- क्या धारा 183 के तहत उपयुक्त आदेश अधिकारियों को धारा 20 के तहत शुल्क लगाने से रोकता है- आयात कानूनों और अधिकारियों की शक्तियों के दो दंडात्मक प्रावधानों की व्याख्या।

प्रतिवादी कंपनी ने मोटर वाहन पुर्जों की आड़ में साइकिल पुर्जों का आयात किया, जिसके लिए केवल उसके पास आयात कानूनों के तहत वैध लाइसेंस था। यू.के. से आयात की कुछ खेपों के संबंध में सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक एकल आदेश दिनांकित 14.11.1955 द्वारा निम्नलिखित रूप से पारित किया:

(i) सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 167(8) के तहत कार्रवाई करते हुए इसने प्रतिवादी को धारा 182 के तहत माल की जब्ती के बदले जुर्माना भरने का विकल्प दिया और (ii) सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 183 और 20 के तहत कार्यवाही करते हुए ऑटो पार्ट्स और मोटर पार्ट्स के बीच अंतर शुल्क का भुगतान करने का विकल्प दिया।

प्रतिवादी ने इस आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी कि एक बार धारा 183 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के बाद अधिकारियों के पास अंतर शुल्क लगाने की कोई और शक्ति नहीं थी। उच्च न्यायालय ने जब्ती के बदले जुर्माना लगाने के आदेश को रद्द करते हुए आयातित ऑटो साइकिल पैडल के लिए आमतौर पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया। कलेक्टर की शक्तियों पर सीमा के इस दृष्टिकोण के खिलाफ, संघ ने विशेष अनुमति ली, अपील की अनुमति देते हुए न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि: (i) यह मुख्य रूप से आयात नियंत्रण प्राधिकरण के लिए है कि वह उस शीर्ष या

प्रविष्टि का निर्धारण करे जिसके अंतर्गत कोई विशेष वस्तु आती है। निःसंदेह यदि संबंधित प्रविष्टि के संबंध में प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई कोई रचना विकृत, या अत्यंत तर्कहीन थी, तो न्यायालय निस्संदेह हस्तक्षेप कर सकता है या करेगा। [88 सी-डी]।

"गंगा सेट्टी प्रकरण, ए. आई. आर. 1963 एस.

सी. 1319 का अनुसरण किया गया।"

(ii) समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम से पता चलता है कि आयात/निर्यात शुल्क अधिनियम की धारा 20 के तहत एक दायित्व/निर्धारण है। यह एक कर है, जुर्माना नहीं; एक बार अपरिहार्य घटना घटित होने पर यह एक साधारण कर है; यह कानून के उल्लंघन के लिए इसका अर्थ दंडात्मक नहीं है। धारा 167 (आइटम 8) और 183 के तहत प्रावधानित जब्ती, जुर्माना और अर्थदण्ड, निषेध और नियंत्रण की योजना के उल्लंघन के लिए सजा के प्रकार हैं। [89 जी]

(iii) किसी भी लाइसेंस के अभाव में पैडल के आयात के बाद दो कानूनी परिणाम सामने आए, अर्थात् (1) आयात पर शुल्क लगाना जिसे किसी भी वैध या अवैध आयातक को सीमा शुल्क बाधा पार होने पर भुगतान करना पड़ता है (ii) प्रतिवादी को धारा 167, प्रविष्टि 8 के जाल में फंसाकर बिना लाइसेंस के पैडल आयात करने का अपराध कारित करके धारा 182 या

183 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र को आमंत्रित करना। [89 एच, 90 ए]।

(iv) दोहरे चरित्र वाला आदेश, यद्यपि एक ही दस्तावेज़ में एक साथ जोड़ा गया है, वैध है और यह अधिकारियों को धारा 20 के तहत शुल्क लगाने से नहीं रोकता है, क्योंकि धारा 20 के तहत दायित्व धारा 183 के तहत दायित्व से स्वतंत्र है। आदेश में प्रयुक्त गैर-सलाहकार और अयोग्य अभिव्यक्तियाँ शायद गुमराह करने के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन इरादा स्पष्ट है कि जो किया गया, वह ज़बती नहीं थी, बल्कि ज़बती के स्थान पर मात्रात्मक जुर्माना भरने का विकल्प था। यह आदेश समग्र था और कानूनी है। [90 डी, 91 बी-डी]।

7- एल 1276 एससीआई/75

सीमा शुल्क कलेक्टर बनाम एच. एस. मेहरा ए. आई. आर. 1964 मद्रास 504; शेवपूजनराय इंद्रसनराई लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर, [1959] एस. सी. आर. 821 को संदर्भित किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 897/1968

एल. पी. ए. सं. 54/1967 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 24 जुलाई 1967 से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलार्थियों के लिए जी. एल. सांघी और गिरीश चंद्र।
प्रतिवादियों के लिए एस. एस. जवाली (न्याय मित्र)।

न्यायालय का निर्णय कृष्ण अय्यर, जे. द्वारा पारित किया गया।

प्रतिवादी ने मोटर वाहन भागों की आड़ में ऑटो साइकिल पैडल का आयात किया, जिसके लिए उसने संबंधित लाइसेंस प्राप्त किया था। ये दोनों सामान आयात को नियंत्रित करने वाले कानून की दृष्टि से भिन्न हैं। जैसा कि न्यायालय द्वारा गंगा सेट्टी के मामले (ए आई आर 1863 एस सी 1319) में निर्धारित किया गया है, यह मुख्य रूप से आयात नियंत्रण प्राधिकरण के लिए है कि वह उस शीर्ष या प्रविष्टि का निर्धारण करे जिसके अंतर्गत कोई विशेष वस्तु आती है। निःसंदेह, यदि संबंधित प्रविष्टि के संबंध में प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई कोई रचना विकृत, या अत्यंत तर्कहीन थी, तो न्यायालय निस्संदेह हस्तक्षेप कर सकता है और करेगा। वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि सीमा शुल्क अधिकारियों के दृष्टिकोण को विकृत नहीं माना जा सकता था और इस आधार पर आक्षेपित आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

इस स्तर पर भी चुनौती के तहत आदेश को उद्धृत करना उचित है जो इस प्रकार है:

"एम/एस सिक्योरिटी एंड फाइनेंस लिमिटेड, दिल्ली ने यूके से उपर्युक्त सामान का आयात किया, जिसके लिए उनके पास आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची के क्रमांक 301/पीटी IV के तहत जारी वैध आयात लाइसेंस नहीं था। इसलिए आयात को अनधिकृत माना गया। इसलिए, आयातकों को इस कस्टम ज्ञापन नंबर एस 24 सी-1276/55 ए दिनांक 30-9-55 में कारण बताने के लिए कहा गया था कि माल को जब्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए और धारा 167(8) समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम सपठित आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम की धारा 3(2) के तहत दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। उक्त कारण बताओ ज्ञापन के जवाब में, आयातकों के क्लियरिंग एजेंटों ने मोटर वाहन भागों के लिए एक लाइसेंस प्रस्तुत किया, और उक्त लाइसेंस के विरुद्ध माल जारी करने का दावा किया। उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह के लाइसेंस के तहत पहले भी इसी तरह की खेप जारी की जा चुकी है। इसके अलावा, इस आशय की कोई सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की गई है कि ऑटो साइकिल पैडल को मोटर वाहन पार्ट्स लाइसेंस के तहत अनुमति नहीं दी जाएगी। इतने उन्नत तर्क स्वीकार्य

नहीं हैं। आयातकों ने उक्त कारण बताओ ज्ञापन में उन्हें दी गई व्यक्तिगत सुनवाई का लाभ नहीं उठाया।

आदेश

उचित लाइसेंस के बिना उपरोक्त वस्तुओं का आयात आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 की धारा 3(2) और 4 और उसके तहत जारी अधिसूचना के तहत निषिद्ध है। तदनुसार, मैं समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम धारा 167(8) के तहत सामान जब्त करता हूं। जब्ती के बदले मैंने आयातकों को धारा 183 के तहत 22,600/- रुपये (बाइस हजार छह सौ रुपये मात्र) का जुर्माना देकर माल छोड़ाने का विकल्प दिया। वस्तुओं को सीमा शुल्क नियंत्रण से बाहर करने से पहले उन पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्क और अन्य शुल्कों का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
दिनांकित 14-11-55 एसडी/-डिप्टी सीमा शुल्क कलेक्टर"

फिर भी, न्यायालय ने चुनौती के तहत आदेश की बाद की सीमा को रद्द कर दिया, जिसमें जब्ती के बदले जुर्माना लगाया गया था और उसके ऊपर, आयातित ऑटो साइकिल पैडल के लिए आमतौर पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया।

इस घातक परिणाम का एकमात्र आधार यह था कि समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 (1878 का अधिनियम VIII) (संक्षेप में, अधिनियम) की धारा 183 के तहत कार्य करने वाले अधिकारियों के पास आयातक-याचिकाकर्ता अर्थात् प्रतिवादी को निर्देशित करने की कोई शक्ति नहीं थी कि वह शुल्क का भुगतान करे, जो जो मोटर वाहनों के पुर्जों और ऑटो साइकिल पैडल के लिए लगाए जाने वाले शुल्क के बीच अंतर को दर्शाता है। सीमा शुल्क कलेक्टर की शक्तियों पर सीमा के इस दृष्टिकोण से व्यथित होकर अपीलकर्ता-भारत संघ, अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करने के बाद, इस न्यायालय के समक्ष आया है। प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा नहीं किया गया और चूंकि इसमें शामिल मुद्दा कानून से संबंधित था और इसमें शामिल राशि अविचारणीय नहीं थी, हमने श्री जवाली, अधिवक्ता से एमिक्स क्यूरी के रूप में काम करने का अनुरोध किया। उन्होंने मामले में योग्यता के साथ तर्क दिये हैं और हम न्यायालय में उनकी सेवाओं की सराहना करते हैं। वास्तव में, लेकिन सीमा शुल्क उप-कलेक्टर के आदेश की उनके द्वारा बारीकी से जांच के लिए, हमने उनके द्वारा अपनी दलीलों में उजागर किए गए मिश्रण और अन्य दोषों पर ध्यान नहीं दिया होगा।

हम पहले ही बता चुके हैं कि सीमा शुल्क कलेक्टर द्वारा जब्ती के बदले में जुर्माना लगाया गया था। ऐसा उन्होंने अधिनियम की धारा 183

के तहत किया, लेकिन उस अधिरोपण से संतुष्ट न होकर उन्होंने माल को 'सीमा शुल्क नियंत्रण' से बाहर निकालने की पूर्व शर्त के रूप में आयातित माल पर पूर्ण शुल्क का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।

क्या धारा 183 के तहत आदेश उसे धारा 20 के तहत शुल्क लगाने से रोकता है? यह हमारे सामने संक्षिप्त मुद्दा है। प्रासंगिक प्रावधानों, शक्तियों और शुल्कों की योजना का बारीकी से अध्ययन करने से एक स्पष्ट द्वंद्व का पता चलता है जिस पर उच्च न्यायालय का ध्यान नहीं गया है। आयात/निर्यात शुल्क अधिनियम की धारा 20 द्वारा निर्धारित एक दायित्व है। यह एक कर है, जुर्माना नहीं; एक बार अपरिहार्य घटना घटित होने पर यह एक साधारण कर है; यह कानून के उल्लंघन के लिए दंडात्मक अधिरोपण नहीं है। धारा 167 (आइटम 8) और 183 के तहत प्रावधानित जब्ती, जुर्माना और अर्थदण्ड निषेध और नियंत्रण की योजना के उल्लंघन के लिए सजा के प्रकार हैं। एक बार जब यह भेद और द्वंद्व याद आ जाता है, तो व्याख्यात्मक प्रक्रिया स्वयं सरल हो जाती है।

स्वीकृत तौर पर, प्रतिवादी ने बिना किसी लाइसेंस के पैडल का आयात किया। जिसके दो कानूनी परिणाम सामने आए। आयात पर शुल्क लागू था जिसे किसी भी आयातक, वैध या अवैध, को सीमा शुल्क नाका पार करने पर भुगतान करना पड़ता था। दूसरे, बिना लाइसेंस के पैडल आयात करने के अपराध ने अपराधी को धारा 167, प्रविष्टि 8 के दायरे में

ले लिया, जिससे धारा 182 के तहत निर्धारित प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र को माल को जब्त करने या, वैकल्पिक रूप से, धारा 183 के तहत जब्ती के बदले में जुर्माना लगाने के लिए आमंत्रित किया। बेशक, यदि जब्ती का सहारा लिया जाता है, तो शीर्षक राज्य में निहित होता है, जैसा कि धारा 184 में प्रावधान किया गया है।

इन मामलों में आयातक को अनिवार्य रूप से आयात शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। उसके बदले में जब्ती या जुर्माना धारा 167, प्रविष्टि 8 के अंतर्गत आने वाले अपराधी या अपराधियों के समूह पर लगाया जाने वाला दंड है। कभी-कभी दोनों ही मामलों में बोज़ एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। और कभी, अलग-अलग व्यक्तियों पर जब्ती और जुर्माने का बोज़ पड़ता है। कुछ मामलों में आयातक के साथ-साथ जब्त करने वाले की भी पहचान की जा सकती है और इसलिए शुल्क और जुर्माना वैध रूप से लगाया जा सकता है। अन्य मामलों में उस वास्तविक व्यक्ति तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है जिसने आयात किया था या जो कानून द्वारा लगाए गए निषेध या प्रतिबंध के विपरीत आयात के अपराध में शामिल था। उस स्थिति में, केवल जब्ती और, वैकल्पिक रूप से, जुर्माना लगाया जा सकता है।

इस परिप्रेक्ष्य से देखें तो निर्णय के लिए जो प्रश्न उठता है उसका उत्तर सरल है। वर्तमान मामले में, जैसा कि उच्च न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया, प्रतिवादी ने परमिट या लाइसेंस के बिना ऑटो साइकिल पैडल का आयात किया। इसलिए वह पैडल आयातकों से सामान्य रूप से लगाए जाने वाले आयात शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। निःसन्देह उसने लाइसेंस के दायरे में नहीं आने वाली वस्तुओं का आयात करके धारा 167 की प्रविष्टि 8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और इसलिए वह धारा 182, 183 और 184 में निर्धारित दंडात्मक दायरे में आता है। वर्तमान मामले में, सक्षम प्राधिकारी डिप्टी कलेक्टर ने सामान के मालिक, प्रतिवादी को जब्ती के बदले में जुर्माना भरने का विकल्प दिया है। उसने माल जब्त नहीं किया है और इसलिए, इस संदर्भ में धारा 184 लागू नहीं है। संक्षेप में, धारा 20 के तहत दायित्व धारा 183 के तहत दायित्व से स्वतंत्र है। दोहरे चरित्र वाला आदेश, हालांकि एक ही दस्तावेज़ में एक साथ जोड़ा गया है, इसलिए पूरी तरह से वैध है। फिर भी, डिप्टी कलेक्टर द्वारा दो शक्तियों और दो देनदारियों को अलग-अलग रखने में विफल रहने के कारण भ्रम पैदा हुआ है और इस तरह से परिहार्य गड़बड़ी हुई है।

श्री जवाली ने आलोचना के घरे में आए आदेश को सही ढंग से उजागर करते हुए कहा कि यह देरी से दिया हुआ आदेश अपनी अस्पष्ट संक्षिप्तता के अलावा कई कमजोरियों से ग्रस्त है। डिप्टी कलेक्टर यह नहीं बताता है कि वह धारा 20 के तहत आयातक पर शुल्क लगा रहा है। उसने

पहली गलती सामान जब्त करके की है (जिस स्थिति में शीर्षक धारा 184 के तहत सरकार के पास निहित है) और दूसरी गलती जब्ती के बदले जुर्माना लगाने का निर्देश देकर की है। दोनों एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते। इसके अलावा, वह भूल जाता है कि धारा 167, प्रविष्टि 8, आपत्तिजनक सामान को जब्त करने के अलावा, जुर्माना लगाने का भी अधिकार देती है, जो जब्ती के बदले धारा 183 में जुर्माने से स्वतंत्र है। यह भ्रमित और संक्षिप्त आदेश केवल उन अधिकारियों के लिए कानून में कुछ अभिविन्यास पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है जिन्हें न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने और तर्कसंगत आदेश लिखने के लिए कहा गया है।

हालाँकि, हम चुनौतीग्रस्त आदेश से यह मानने को तैयार हैं कि दो अलग-अलग शक्तियों के प्रयोग में दो अलग अलग शुल्क लगाए गए हैं, जैसा कि पहले बताया गया है। माल को छुड़ाने के लिए आयात शुल्क को शर्त बना दिया गया है। यह सही है और यह कहना असंभव है कि उक्त भुगतान धारा 20 द्वारा उचित नहीं है। इसी तरह, जब प्राधिकरण ने जुर्माना लगाया, तो वह धारा 183 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा था। हम आसानी से देख सकते हैं कि उसका इरादा सामान जब्त करने का नहीं था। उन्होंने केवल जब्त करने का प्रस्ताव रखा और उसके बदले जुर्माना तय करने की कार्रवाई की। आदेश में इस्तेमाल की गई गैर-

प्रशंसनीय और अयोग्य अभिव्यक्तियाँ शायद गुमराह करने के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन इरादा स्पष्ट है कि जो किया गया वह ज़बती नहीं था बल्कि ज़बती के स्थान पर एक मात्रात्मक जुर्माना भरने का विकल्प दिया गया था। जिस अर्थ में हमने समझाया है, उसे पढ़ने पर यह आदेश समग्र था और कानूनी है। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपीलकर्ता जीत का हकदार है और उच्च न्यायालय से त्रुटि हुई थी।

जिस तर्क ने हमें प्रभावित किया है वह मद्रास उच्च न्यायालय के सीमा शुल्क कलेक्टर बनाम एच. एस. मेहरा (ए. आई. आर. 1964 मद्रास 504) के फैसले में प्रतिध्वनित होता है। बेंच की ओर से बोलते हुए सी.जे. रामचंद्र अय्यर ने कानूनी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझाया है और हम इससे सहमत हैं। इस न्यायालय के दो निर्णयों को उच्च न्यायालय के समक्ष संदर्भित किया गया था और वास्तव में, उच्च न्यायालय का निर्णय इस आधार पर आगे बढ़ा कि उन दो निर्णयों ने मामले को समाप्त कर दिया। मद्रास का निर्णय सही कारणों से, यदि हम सम्मान के साथ ऐसा कह सकते हैं, इस न्यायालय के उन दो निर्णयों को अलग करता है। वे हमारे सामने मौजूद स्थिति के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं। दूसरी ओर, वे दोनों मामले तस्करी के सामान के रूप में व्यक्तियों से जब्त किए गए सोने की मात्रा से संबंधित हैं। उसका आयात कैसे किया गया, आयात में कौन शामिल थे, और इसलिए, आयात शुल्क के लिए किसे उत्तरदायी

बनाया जा सकता है, इन दो मामलों में खाली छोड़ दिया गया था। इसलिए, आयात शुल्क के भुगतान के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा लगाई गई शर्तों का समर्थन नहीं किया जा सकता है। हम उन दो निर्णयों और जिस बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पर उनकी अनुपयुक्तता को समझाने के लिए थोड़ा और विस्तार में जाएंगे। हम यह कह सकते हैं कि उनमें से कोई भी यह निर्णय नहीं करता कि एक बार जब्ती के बदले में जुर्माना लगाने के बाद, धारा 20 के तहत शुल्क लगाने की शक्ति से वंचित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अधिकारी दोनों शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते, जहां तथ्य पर धारा 20 और धारा 182 से धारा 184 लागू होती है।

शेवपूजनराय इंद्रासनराय लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर ([1959] एस. सी. आर 821) मामले में इस न्यायालय को तस्करी के सोने के संबंध में समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कलेक्टर द्वारा पारित एक आदेश पर विचार करना था। 10,00,000 रुपये का जुर्माना भरने का विकल्प देने का आदेश दिया गया था, लेकिन कलेक्टर ने 'जब्त किए गए सोने' को छोड़ने के लिए इसे दो शर्तों अधीन कर दिया। एक शर्त थी सोने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक से परमिट प्रस्तुत करना और दूसरा थी सोने के संबंध में उचित सीमा शुल्क का भुगतान। इस न्यायालय द्वारा दोनों शर्तों को अवैध माना गया। उस मामले में विद्वान सॉलिसिटर जनरल

द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम या समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं था जिसके तहत रिज़र्व बैंक पूर्वव्यापी प्रभाव से तस्करी किए गए सोने के संबंध में अनुमति दे सके। और तो और, यदि ऐसा हो सकता था तो धारा 167, प्रविष्टि 8 के तहत कोई अपराध नहीं होगा और ज़ब्ती का आदेश ही अनुपयुक्त होगा। जहां तक सीमा शुल्क के भुगतान की दूसरी शर्त का सवाल है, इस बात का पता नहीं चल पाया कि किस माध्यम से सोने की तस्करी की गई थी- समुद्र के जरिये या जमीन के जरिए- और इसलिए यह देखना मुश्किल था कि धारा 88, जिसे लागू करने की मांग की गई थी, कैसे कोई मदद कर सकती थी। दरअसल, होरमासजी एलाविया बनाम भारत संघ (18.8.1953 को निर्णीत आपराधिक अपील संख्या 1296/1953) मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को विद्वान न्यायाधीशों के ध्यान में लाया गया था, जहां सीमा शुल्क को समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 88 के तहत देय माना गया था, लेकिन इसे इस आधार पर अलग कर दिया गया था कि उस मामले में माल को बिना किसी शुल्क के भुगतान के कंटियाजाल बंदरगाह के माध्यम से तस्करी के रूप में ट्रैक किया गया था और, उन परिस्थितियों में, यह माना गया कि धारा 88 लागू होती है। आयात के तरीके की पहचान हो जाने पर शुल्क लगाने की शक्ति का प्रयोग उचित अधिनियम के तहत किया जा सकता है। इसलिए, शेवपूजनराय (उपर्युक्त) में इस प्रस्ताव के लिए कोई प्राधिकार नहीं है कि

एक बार जब्ती के बदले में जुर्माना लगाने के बाद आयात शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।

अम्बा लाल बनाम भारत संघ ([1961] 1 एस.सी.आर. 933) मामले में बाद का फैसला भी कोई मददगार नहीं है। वह भी तस्करी के सोने से संबंधित है। सीमा शुल्क कलेक्टर ने उस मामले में, जब्त किए गए सोने को छोड़ने के लिए शर्तें लगाईं। यद्यपि विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा एक रियायत पर आदेश को रद्द कर दिया गया था, उस मामले में बताए गए तथ्यों पर, अपीलकर्ता के घर से तलाशी के दौरान प्रतिबंधित सामान बरामद किया गया था, लेकिन अधिकारी किसी भी सबूत से यह साबित नहीं कर सके कि जब्त किए गए सामान भारत और पाकिस्तान के बीच पहली बार सीमा शुल्क अवरोध लगाए जाने के बाद भारत में आयात किया गया था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति से जब्ती की गई थी, उस पर आयात शुल्क नहीं लगाया जा सकता था।

हमारे सामने मामला स्पष्ट रूप से एक अलग स्तर पर खड़ा है और जब्ती के बदले जुर्माना लगाने और आयात शुल्क लगाने का आदेश उचित है। हम अपील की अनुमति देते हैं लेकिन, मामले की परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक खुशबू सोनी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।